

दिनांक-29 मई, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :-

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत "पटना नगर निगम (विज्ञापन एवं सदृश अन्य युक्तियों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा) विनियम, 2012 की स्वीकृति।

विनियम 23 (ग) में 'परिसर में' के बाद 'नाम पट्ट सहित' जोड़ने के निदेश के साथ स्वीकृत। तदनुसार अंग्रेजी अनुवाद को संशोधित किया जाए।

पथ निर्माण विभाग

2. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री उमा शंकर मिश्र एवं श्री राम नारायण झा, सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता को दिनांक-08.08.2001 के भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में।

स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. बक्सर जिलान्तर्गत चौगाई अंचल के मौजा-ओझाबरॉव, थाना नं०-277, खाता नं०-328, खेसरा नं०-1121, रकबा-0.15 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखरा भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ओझाबरॉव के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. बक्सर जिलान्तर्गत डुमरॉव अंचल के मौजा-टुड़ीगंज, थाना नं०-200, खाता नं०-433, खेसरा नं०-997, रकबा-0.30 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म तालाब भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, टुड़ीगंज के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर अंचल के मौजा-बराढी, थाना नं०-294, खाता नं०-736, खेसरा नं०-1421, रकबा- 0.10 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म आहरा भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बराढी के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव अंचल के मौजा-नेनुआ, थाना नं०-173, खाता नं०-468, खेसरा नं०-2217, रकबा-0.10 एकड़ (दस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखरा पिण्ड भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नेनुआ के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर अंचल के मौजा-पोखरहा, थाना नं०-286, खाता नं०-578, खेसरा नं०-2096, रकबा-0.10 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखरा भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पोखरहा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर अंचल के मौजा-बरूहा, थाना नं०-289, खाता नं०-376, खेसरा नं०-2384, रकबा- 0.10 एकड़ (दस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म रास्ता भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बरूहा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. समस्तीपुर जिले एवं अंचल के मौजा मगरदही, थाना सं०-179, खेसरा सं०-34 (पुराना) 416 (नया), रकबा-0.72 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि जो बिहार सरकार के स्वामित्व में है, को समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी के आवास के निर्माण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के मौजा-खिरी, थाना नं०-145, खाता नं०-673, खेसरा नं०-2588, रकबा- 0.12 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म परती भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, खिरी के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव अंचल के मौजा—मुगाँव, थाना नं०—347, खाता नं०—357, खेसरा नं०—1506 /2915, रकबा—0.12 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पुरानी परती भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मुगाँव के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को वेतनादि, वेतनान्तर, बकाया वेतनादि एवं बकाया पेंशन राहत के भुगतान हेतु तत्काल 16,10,39,438/—(सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रु०) मात्र की स्वीकृत करने के संबंध में। स्वीकृत।

गृह विभाग

13. दिनांक— 26.05.2012 को बैरगनियों (सीतामढ़ी) में एस०एस०बी० के जवानों द्वारा फायरिंग किये जाने के फलस्वरूप मृत व्यक्ति श्री नीरज पासवान के निकटतम आश्रित को विशेष परिस्थिति में एक लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

- (राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय)
14. राज्य आयुक्त, निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सलाहकार के सृजित एक पद को प्रत्यार्पित करते हुए उक्त वेतनमान में ही विधि सलाहकार के पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। स्वीकृत।